मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक. 286 दिनांक. 8//8/2012

गत सभा दिनांक 28/7/2012 के कार्यवृत की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौसिंल
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.................... दिनांक.............................

प्रतिलिपिः-

1- आयुक्त
2- रेसीडेन्ट आडिट
3- सूचना एवं प्रोद्यौगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रंमाक 245

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 287 दिनांक 08–08–2012</u>

अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, पिपलिया पाला, इन्दौर में म.प्र. राज्य पर्यटन निगम द्वारा पर्यटन विषयक गतिविधियों के चालन के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 08–08–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित द्वारा कुछ अतिरिक्त सुविधाओं सहित मनोरंजन स्थल के रूप विकसित हेतु दी सहमति अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, पिपलिया पाला, इन्दौर पर पर्यटन गतिविधियां, जैसे फुड कोर्ट, जलकीड़ा टेन्टेड अकोमडेशन, लेजर शो को समावेशित करते हुए मनोरंजन स्थल के रूप में चालन करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है। निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के मध्य भागीदारी की शर्तों का निर्धारण कर प्रकरण प्रस्तुत करे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 699–700 दिनांक 13.8.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 259

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 288 दिनांक 08–08–2012</u>

निर्माणधीन बी.आर.टी.एस. ए.बी.रोड़ कॉरीडोर पर निर्माणधीन बस शेल्टर में आटोमेटिक डोर्स, सेन्सर एवं आर.एफ.आय.डी. टेग्स बस में स्थापित किये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 231/सी.ई./योजना दिनांक 05.06.12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 82 दिनांक 21–06–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निर्माणधीन बी.आर.टी.एस. ए.बी.रोड़ कॉरीडोर पर निर्माणधीन बस शेल्टर में आटोमेटिक डोर्स, सेन्सर एवं आर.एफ.आय.डी. टेग स्थापना का कार्य ए.आय.सी.टी.एस.एल. कम्पनी के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित कर कार्य कराये जाने एवं उक्त कार्य पर होने वाली व्यय राशि रुपये 3.00 करोड़ निगम मद से ए.आय.सी.टी.एस.एल. कम्पनी को उपलब्ध कराने की स्वीकृति निगम परिषद् स्वीकृति क प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित मद से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 715–16 दिनांक 17.08.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 260

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 289 दिनांक 08–08–2012

बिलावली तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 15 मस्टर श्रमिकों से कार्य लेने के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में मान. महापौरजी द्वारा बिलावली तालाब के निरीक्षण के दौरान तालाब से मछली पकड़ने तालाब की पाल को खोदने, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तालाब का गेट तोड़ने आदि की स्थिति पाई गई, तालाब की सुरक्षा व्यवस्था, साफ–सफाई,वृक्षारोपण व रख रखाव हेतु 15 मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) 15 मस्टर श्रमिकों से दिनांक 16–08–12 से 30 नवम्बर 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा। झोनल अधिकारी बिलावली झोन के नियंत्रण में मस्टर कर्मी कार्य करेंगे तथा पारिश्रमिक भुगतान संबंधी कार्यवाही झोन द्वारा की जावेंगी।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 717–18 दिनांक 17.08.12

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन कंमाक 261

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प कमांक 290 दिनांक 08–08–2012</u>

सिरपुर तालाब पर वृक्षारोपण सुरक्षा एवं अन्य कार्य की देखरेख हेतु 06 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्वि के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 10.7.12 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 2826 दिनांक 01.08.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति व अनुशंसा के प्रकाश में सिरपुर तालाब पर वृक्षा रोपण,देख–रेख पौंधे को पानी देना, साफ–सफाई एवं सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु 06 मस्टर श्रमिक की मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक.143 दिनांक 18.8.11 द्वारा दी स्वीकृति के तारतम्य में कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01.06.02012 से 31 दिसम्बर तक की अवधि वृद्वि की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद संख्या 2101021 ''अस्थाई श्रमिकों पर होने वाला व्यय उद्यान विभाग में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 721–22
दिनांक 17.08.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रंमाक 268

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 291 दिनांक 08–08–2012

सरवटे एवं गंगवाल बस स्टेण्ड पर अस्थाई रखे कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 940 दिनांक 16–07–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति व अनुशंसा के प्रकाश में तथा मेयर–इन–कौसिल संकल्प क्रमांक 269, दिनांक 13–10–11 के तारतम्य में सरवटे एवं गंगवाल बस स्टेण्ड पर सुरक्षा गार्ड, बुकिंग, रिजर्वेशन व पूछताछ काउन्टर, नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से नियमित व्यवस्था होने तक अथवा 31–12–2012 अवधि तक निगम के अमले के साथ–साथ आवश्यकतानुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित/निश्चित मानदेय पर नितांत अस्थाई रूप से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर कार्य लेने हेतु अवधि वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे<br>
महापौर/पदेन अध्यक्ष<br>
मेयर इन कौसिंल<br>
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 737–38 दिनांक 23.08.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव<br>
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रंमाक 269

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 292 दिनांक 08–08–2012</u>

वर्ष 2012–13 हेतु चूरी, खली, गेहूॅ भूसा/चना भूसा, हरा घास, चापड सूखी घास क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 32/गौशाला/2012 दिनांक 05–07–2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2824 दिनांक 01.08.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2012–13 हेतु चूरी, खली, गेहूॅ भूसा/चना भूसा, हरा घास, चापड सूखी घास सप्लाय करने के लिए वार्षिक ठेके हेतु दिनांक 30–03–2012 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता दामोदर प्रभुलाल द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित न्यूनतम दरों पर सप्लाय किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक ''2308016'' गौशाला के पशुओं पर खाना खुराक पर व्यय'' में से होगा।

| अनु.क्र. | प्रदाय की जाने वाली सामग्री | स्वीकृत न्यूनतम दर |
|---|---|---|
| 1 | खली | 1680/– प्रति क्वि. |
| 2 | गेहूॅ भूसा/चना भूसा | 550/– प्रति क्वि. |
| 3 | चापड़ | 1290/– प्रति क्वि. |
| 4 | सूखी घास | 680/– प्रति क्वि. |

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 751–52 दिनांक 23.08.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 270

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 293 दिनांक 08–08–2012

सात मस्टर श्रमिक (ऑपरेटर) की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1162/असे दिनांक 19–07–2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2829 दिनांक 01–08–12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 305 दिनांक 07–12–2012 के तारतम्य में 07 मस्टर श्रमिक (कम्प्युटर ऑपरेटर) से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 15–11–2011 से 31–12–2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे<br>
महापौर/पदेन अध्यक्ष<br>
मेयर इन कौसिंल<br>
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक.

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव<br>
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक278

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 294 दिनांक 08–08–2012</u>

बहुमंजिला पार्किंग भवन निर्माण अन्तर्गत 6 स्थानों (इपीसी) पर प्राप्त वित्तीय निविदायें के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक जेएन 2327 एनयूआरएम/2012 दिनांक 27–03–2012 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 422 दिनांक 24–02–2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत 6 स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग भवन निर्माण कार्य हेतु यूएडीडी एसओआर (इन्ट्रीगेटेड) लागू दिनांक 01–06–2011 की दरों के आधार पर ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया अनुसार आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं की ईएमडी एवं तकनीकी ऑफर दिनांक 22–03–2012 को तथा मूल्यांकन (तकनीकी एवं वित्तीय) में योग्य निविदा दाताओं के वित्तीय ऑफर दिनांक 26–03–2012 को निविदा दाताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष खोले गये। निम्नांकित 04 स्थानों के लिए न्यूनतम निविदा दरदाताओं द्वारा प्रस्तुत दरें निगम में प्रचलित दरों के समतुल्य होने से निम्नानुसार निविदाओं की स्वीकृति एवं तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है:–

| अनु क्र. | बहुमंजिला पार्किंग भवन निर्माण कार्य स्थल का नाम | न्यूनतम निविदा दर दाता का नाम | प्राक्कलन राशि रूपये (लाख में) | न्यूनतम स्वीकृत दर | कुल राशि रूपये (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | स्कीम नं. 54 (पीयू3) रघुनाथ पेट्रोल पंप, इंदौर(टेण्डर नं.255) | मे.सीएमएम इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. इन्दौर | 885.17 | 11.81 : एसओआर पर अधिक | 989.70 |
| 2 | स्कीम नं. 54 (पीयू4) सत्यसांई स्कूल के सामने, इंदौर (टेण्डर नं. 250) | मे. सीएमएम इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. इन्दौर | 1013.64 | 11.81 : एसओआर पर अधिक | 1133.35 |
| 3 | स्कीम नं. 54 (पीयू4) फार्च्यन लेंडमार्क के पास, इंदौर (टेण्डर नं. 258) | मे. सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि.नई दिल्ली | 1308.60 | 10.48 : एसओआर पर अधिक | 1445.74 |
| 4 | प्राणी संग्रहालय, इन्दौर (टेण्डर नं. 259) | मे. सोम प्रोजेक्ट प्रा.लि.नई दिल्ली | 998.73 | 11.20 : एसओआर पर अधिक | 1110.58 |

3. 02 स्थानों जिनमें स्कीम नं. 54 (पीयू–4) एमपीएफसी ब्लॉक के पीछे इन्दौर (टेण्डर नं. 256) एवं कलेक्टर बिल्डिंग के समीप (टेण्डर नं. 257) में एकल निविदा प्राप्त होने से निविदा निरस्त की जाकर पुनः निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 279

मेयर–इन कौसिंल संकल्प कमांक 295 दिनांक 30–08–2012

बजट मद नाम/क्रमांक संशोधन के संबंध में अपर आयुक्त स्थापना की टीप दिनांक 24–08–2012 पर विचार किया गया। मेयर–इन कौसिंल संकल्प कमांक 236 दिनांक 28–07–2012 का अवलोकन किया गया।

2. सदर प्रकरण में मेयर–इन कौसिंल संकल्प कमांक 236 दिनांक 28–07–2012 में बजट मद ''गौ–शाला'' के स्थान पर बजट मद ''मद क्रमांक 2101021 ''अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक'' पढ़ा जावे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 282

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प कमांक 296 दिनांक 08–08–2012</u>

उद्यानों में उद्यानिकी कार्य हेतु दल गठित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 445 दिनांक 06.06.12 पर प्रभारी उद्यान विभाग की राय क्रमांक 17/खाद्य/दिनांक 26.06.12 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति अनुसार में आवासीय कॉलोनियों में स्थित उद्यानों को विकसित/संधारित कर रहवासियों के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने को प्राथमिकता देने हुए मान्. महापौर महो. द्वारा प्रत्येक वार्ड में संबंधित पार्षदों द्वारा चिन्हित 5 उद्यानों के विकसित/संधारित करने के दिये गये निर्देशों अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में कार्यवाही की गई जो इस वर्ष भी की जा रही है। इस कार्यवाही के तहत उद्यानों में आवश्यक सिविल वर्क जैसे– बाउण्ड्रीवाल, मरम्मत, रंगाई पुताई, पाथ–वे की मरम्मत, पानी की व्यवस्था आदि सिविल वर्क उद्यानों विभाग की तकनीकी शाखा के माध्यम से कराये जा रहे है। इन चिन्हित उद्यानों में उद्यानिकी कार्य जैसे– मिट्टी भराव, मिट्टी की निंदाई गुड़ाई, घास कटाई हेजिंग पौधरोपण, उद्यानिकी एक्जाई साफ–सफाई आदि हेतु श्रमिकों की टीम बनाई जाकर कार्य कराने के निर्देश के तहत दिनांक 01 जनवरी 2012 तक 04 माह की आयुक्त महो. की स्वीकृति पर 100 श्रमिक रखे जाकर कार्य कराये गये की कार्योत्तर पुष्टि तथा मान. महापौर महो. द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त कार्यवाही निरन्तर जारी रखते हुए झोन वाईज श्रमिकों की टीम संलग्न पत्रक अनुसार गठित किया जाना प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार कूल 140 अस्थाई श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह टीम संबंधित झोन में स्थित उद्यानों की साफ–सफाई उद्यानिकी कार्य टीम वर्क के रूप में करेगी। किसी भी स्थिति में टीम को ब्रेक कर काम नहीं लिया जावेंगा, अर्थात जहॉ भी काम करे दल के सदस्य एक साथ काम करेगे। उपरोक्त टीमों का झोनवार वार्डवार कार्य करने का शैड्यूल प्रतिमाह उद्यान शाखा द्वारा तैयार किया जावेगा, के अनुसार स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में उपरोक्त कार्यों के लिये 100 श्रमिकों से दिनांक 01 जनवरी 2012 से अप्रैल 2012 (04माह तक) लिये गये कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि तथा दिनांक 01 मई 2012 से अगस्त 2012 तक लिये गये कार्य की स्वीकृति तथा आगामी कार्य योजना के तहत उद्यानिकी कार्य हेतु श्रमिकों के झोनवार दल (टीम) बनाये गये अनुसार कुल 140 मस्टर कर्मचारियों की आवश्यक को दृष्टिगत रखते उपरोक्त उल्लेखित 100 तथा 40 अतिरिक्त मस्टर श्रमिक इस प्रकार कुल 140 की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29–29 दिवस पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) 01 सितम्बर–2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इनमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद क्रमांक 9430690 ''अस्थाई श्रमिकों पर व्यय'' में से होगा। प्रस्ताव अनुसार किसी भी स्थिति में टीम को ब्रेक कर काम नहीं लिया जावेंगा, अर्थात जहॉ भी काम करे दल के सदस्य एक साथ काम करेंगे।

4. विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 791–92 दिनांक 5.09.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमाक 283

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 297 दिनांक 08–08–2012

नौलखा चौराहे के पीछे नाले के किनारे संवाद नगर के पास निगम स्वामित्व की दुकान की तल मंजिल की दुकान के छत हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 15–06–2012 को प्राप्त ऑफर के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 940 दिनांक 07–08–2012 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 308 दिनांक 20–01–2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नौलखा चौराहे के पीछे नाले के किनारे संवाद नगर के पास निगम स्वामित्व की दुकान की तल मंजिल की दुकान की छत 15**X**28=420 वर्गफीट के लिये दिनांक 15–06–2012 को प्राप्त 04 निविदाओं में सर्वोच्चतम ऑफरदाता श्री कैलाश काशीराम पिंपले द्वारा प्रस्तुत उच्चतम ऑफर दर राशि रूपये 651/– प्रतिवर्ग फीट के मान से कुल राशि रूपये 2,73,420/– का प्रवेशाधिकार शुल्क लेकर आवंटित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। नियमानुसार प्रचलित दर से मासिक किराया पृथक से लिया जावे तथा निविदादाता से अनुबंध कराया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे<br>
महापौर/पदेन अध्यक्ष<br>
मेयर इन कौंसिल<br>
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 851–52 दिनांक 12.09.2012

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त –संलग्न –1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव<br>
नगर पालिक निगम,इन्दौर